(1)

249

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू , ग्वालियर

R-989-II/12

अभिषेक तिवारी उम्र 25 वर्ष तनय श्री रमेशनारायण तिवारी,
निवासी कोहा, तहसील खुरई, जिला सागर,म.प्र.

... आवेदक

// बनाम //

1. म.प्र. शासन,
2. श्रीमती राजकुमारी बेवा पुरूषोत्तम तिवारी
3. कविन्द्र कुमार तनय पुरूषोत्तम तिवारी
4. रवीन्द्र कुमार तनय पुरूषोत्तम तिवारी

निवासी खामगांव तहसील खामगांव जिला बुलढाना (महाराष्ट्र प्रदेश)

...अनावेदकगण

दिलीप गोस्वामी, अभि. द्वारा आज दि. 18.4.12 को प्रस्तुत
18.4.12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक निम्न लिखित प्रार्थना करता है:--

1. यह कि, उक्त निगरानी आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 253अ/23/2011-12 आदेश दिनांक 28.2.12 से पीड़ित होकर कर रहा है।

2. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अपर कलेक्टर महोदय सागर ने उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर बहुत बड़ी कानूनी त्रुटि की है जबकि किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अपने द्वारा निर्मित निर्णय को समय सीमा के संबंध में अपने निर्णयों में स्पष्ट फाइन्डिग दी है । आवेदक द्वारा कानून संगत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त जमीन की खरीद की है, विधिवत नामान्तरण एवं कब्जा प्राप्त किया है, विक्रयपत्र को विधायन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....निग. 989/II/12... जिला ....सागर........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.2.17	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क्र. 253अ/23/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–02–2012 के विरूद्व म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी खुरई के प्रतिवेदन दि.04.05.10 के आधार पर प्रकरण में स्वमेव निगरानी के तहत कार्यवाही करते हुए आवेदक द्वारा कयशुदा भूमि खसरा नंबर 145/1 में से रकवा 1.983 हे0 का विकयपत्र दिनांक 11.06.90 के आधार पर स्वीकृत नामांतरण को निरस्त किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किए जाने से निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3— उनका यह भी तर्क है इस प्रकरण में आवेदक द्वारा विक्रेता राजकुमार कवीन्द्र व प्रशांत कुमार पिता पुरूषोत्तम तिवारी के नाम भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 145/1 रकव 5.913 आरे में से रकवा 1.983 आरे भूमि उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदत्त किए जाने के उपरांत निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11.06.90 से क्रय की थी जिसका नामांतरण विधिवत रूप से केता के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किया गया था भूमि स्वामी द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को स्वमेव निगरानी के तहत प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि इस प्रकरण में 165(7–ख) के प्रावधान प्रभावशील नहीं थे इस कारण उन्होनें अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2011 को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— उन्होंने अपने तर्को में यह भी कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा पारित आदेश को शून्य किए जाने बावत् हल्का पटवारी तहसीलदार खुरई के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया है एवं विकेता द्वारा प्राप्त राशि से बैंक	

[कृ. प. उ.

निग० प्र० क्र० 989-दो/12

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी की है यदि उसे राशि वापिस करना पड़ेगी तो ऋण की भरपायी करना एवं जीवन यापन करने में काफी कठनाई होगी। उन्होंने राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्या.न्यायधीश एस.के. गंगेले ने रे.नि. वर्ष 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पुष्टि आदेश दिनांक 28.02.2012 निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 5— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण में अनुविभागीय अधिकार के प्रतिवेदन पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 11.06.90 को निष्पादित रजिस्टर्ड विकयपत्र और उसके आधार पर किए गए नामांतरण आदेश को स्व.निग. के तहत आदेश पारित कर निरस्त किया है। जबकि प्रश्नाधीन भूमि में विकेता को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के उपरांत किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता इस प्रकरण में विकयपत्र वर्ष 1990 में निष्पादित किया गया है और स्वप्रेरणा की कार्यवाही 2010 में राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई है। जो लगभग 20 वर्ष के उपरांत प्रचलित कार्यवाही वैध नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाता है तथा अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.11 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.12 निरस्त किया जाता है परिमातः निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 11.06.90 के आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पूर्वतः दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	